प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 08.05.2026

बखिरा पुलिस द्वारा चोरी का खुलासा: अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के जेवरात व नगदी बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना* के** निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन एवं व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व आज दिनांक 08.05.2026 को मु0अ0सं0157/26 धारा 303(2) /317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता अरमान पुत्र बदरे आलम निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 04 जोड़ी पायल, 01 जोड़ी सफेद धातु पायजेब,04 अदद पीली धातु की बाली, 02 अदद लाकेट, 05 अदद नाक की कील, 02 अदद नाक की नथुनी, 03 अदद टप्स, 01 अदद नथिया, 01 अदद नथिया की लरी पीली धातु व 24,000/- रु0 के साथ पचेठी बाबा मजार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण-

वादी नुरुल हसन निवासी मलिक जोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर 07.05.2026 को तहरीर दी थी कि उनकी मंगल बाजार बखिरा सराफा की दुकान से उक्त विपक्षी अरमान आभूषण का थैला और पैसा लेकर भाग गया। पुलिस ने तत्काल मु0अ0सं0 157/2026 धारा 303(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर अब मुकदमे में धारा 317(2) BNS की वृद्धि की गई है।

बरामदगी का विवरणः-

01- 04 जोड़ी पायल
02- 01 जोड़ी सफेद धातु पायजेब
03- 04 अदद पीली धातु की बाली
04- 02 अदद लाकेट
05- 05 अदद नाक की कील
06- 02 अदद नाक की नथुनी
07- 03 अदद टप्स
08- 01 अदद नथिया
09- 01 अदद नथिया की लरी पीली धातु
10- 24,000/- रुपया

पूछताछ विवरण-

पकड़े गये अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 04.05.2026 को मंगल बाजार बखिरा में नुरुल हसन अपनी की सराफा दुकान से थोड़ा दूर हटा, हमने मौका पाकर गहनों और पैसों से भरी पोटली लेकर भाग गए।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः- उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह, हे0का0 अरविन्द कुमार चौहान, हे0का0 आदित्य यादव, हे0का0 रमेश मिश्रा, का0 प्रवेश कुमार।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैगेस्टर एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 53/2026 धारा 2(b)(1)/3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दीपक यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी हीरमपुर (पंचगंगपुर) थाना वृजमनगंज जनपद महाराजगंज को आज दिनांक 08.05.2026 को डडिया बाजार मेहदावल रोड के पास से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 180/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- विदित हो कि दिनाँक 16.02.2026 को अभियुक्त के अपराधिक इतिहास के दृष्टिगत थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 53/2026 धारा 2(b)(i)/3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

दीपक यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी हीरमपुर (पंचगंगपुर) थाना वृजमनगंज जनपद महाराजगंज।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त-

01.मु0अ0सं0 359/2025 धारा 317(2),317(4),317(5),112(2) बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
02.मु0अ0सं0 356/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
03.मु0अ0सं0 355/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
04.मु0अ0सं0 340/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
05.मु0अ0सं0 321/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
06.मु0अ0सं0 306/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
07. मु0अ0सं0 53/2026 धारा 2(b)(1)/3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
08. मु0अ0सं0 180/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष मेंहदावल श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, हे0का0 मोतीलाल यादव, का0 अमेरिका प्रसाद, का0 भुवनेश्वर सिंह, का0 अमित कुमार।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना धर्मसिंहवा पुलिस*** द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त शिवधारी पुत्र चक्रवर्ती निवासी गौरी राई थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार भारती, का0 दीपक खरवार।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त अवधेश पुत्र ठाकुर यादव निवासी चौरही थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, हे0का0 राजीव वर्मा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6888 द्वारा दो मोरटरसाइकिल के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल–

पीआरवी 6888 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत दुर्गजोत से बस्ती जाने वाले मार्ग से कालर द्वारा दो मोटरसाइकिलों के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.दीपक यादव पुत्र फूलबदन सा0 पजरा भिरी थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी0 बेलहरकला भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल को इलाज हेतु सी0एच0सी0 बेलहरकला भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- हे0का0 गणेश शंकर वर्मा, का0 विवेक कुमार, हो0गा0 चा0 महेन्द्र यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 185 वाहनों से 2,40,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 08.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 185 वाहनों से 2,40,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के अभियान के क्रम में गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों की 02 नामित सम्पत्तियों (अनुमानित कीमत 8,16,400 रुपया) को किया जाएगा कुर्क

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 436/2025 धारा 2(वी)(1)3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त इसरार अहमद पुत्र मसहूर आलम निवासी टेमारहमत थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा अपराध कारित कर चार पहिया वाहन swift zxi रजि0 सं0 यूपी 51 बी यू 8056 क्रय किया गया एवं जिसका अनुमानित मूल्य 7,60,000 रुपये है। उक्त वाहन को उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियकलाप (निवारण अधिनियम 1986) की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किया जाएगा।

इसी क्रम में थाना कोतवाली खलीलबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 595/2025 धारा 2(वी)(1)3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विवेक सोनकर पुत्र विकास सोनकर निवासी बरहुआ थाना गीडा जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध कारित कर मोटरसाइकिल वाहन बजाज पल्सर रजि0 सं0 यूपी 53 डीजेड 7542 का क्रय किया गया है, जिसका अनुमानित मूल्य 56,400 रुपया है। उक्त वाहन को उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियकलाप (निवारण अधिनियम 1986) की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किया जाएगा।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 08.05.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) /ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री बजरंगी पुत्र हरिवंश निवासी कानापार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर अभियुक्त संतू पुत्र छब्बन निवासी कानापार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी के साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री विनोद यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एनसीआर नं0 71/2016 धारा 323, 504 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त को उक्त प्रकरण में जुर्म स्वीकार करने पर अन्तर्गत धारा 323,504 भादवि के तहत न्यायालय उठने तक की सजा व 2000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।